[In the court of Shreeprakash, Addl. Sessions Judge-XX, Motihari, East Champaran]

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–20, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
नियमित जमानत याचिका संख्या–743/2026
नकरदेई थाना काण्ड संख्या–62/2025

उपस्थितः–श्रीप्रकाश
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–20,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. अईयाज आलम उर्फ अईयाज मियां उर्फ फैइयाज मियां, उम्र– 25 वर्ष, पिता– गयासुद्धिन मियां,
साकिन– सिरिसिया माल, थाना– नकरदेई, जिला– पूर्वी चंपारण।
..अभियुक्त

बनाम

बिहार सरकार ....विपक्षी

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः– सुभाष चंद्र सिंह।
अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजकः– श्री दिग्विजय नारायण सिंह।

आदेश

28.04.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त अईयाज आलम उर्फ अईयाज मियां उर्फ फैइयाज मियां की ओर से नकदेई थाना काण्ड संख्या– 62/2025, दिनांक–07.05.2025, धारा– 25(9), 25(1–बी)ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को दी गयी है। आवेदक दिनांक–03.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता संचालित करते हुए निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं एवं उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई अन्य जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं है सिवाय अग्रिम जमानत याचिका संख्या– 5290/2025 जो जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–03 मोतिहारी, की विद्वान अदालत ने खारिज कर दिया है। आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नही है सिवाय नकरेदई थाना कांड संख्या– 04/2026, 06/2024 एवं 180/2024 है। आवेदक दिनांक–03.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत का प्रबल विरोध करते हैं।

अभियोजन की संक्षिप्त कहानी यह है कि पी0टी0सी0 विनय कुमार यादव नकरदेई थाना में प्रतिनियुक्त है। दिनांक 06.05.2025 को वह अपनी टीम के साथ थाना से प्रस्थान किए। गस्ती के दौरान मिडिया से सूचना मिली कि एक व्यक्ति का हथियार के साथ फोटो वायरल हुआ। वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए वायरल हथियार का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु गस्ती बल के साथ प्रस्थान किया। पुलिस बल के सहयोग से वायरल फोटो के आलोक में एक व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर बताऐ कि यह हथियार मैं कुछ दिन पूर्व में ग्राम सिरिसिया माल के अईयाज मियां से उसके बगीचा से लेकर फोटो खिंचा था उसके बाद उसे वापस

<u>न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–20, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी</u>
<u>नियमित जमानत याचिका संख्या–743/2026</u>
<u>नकरदेई थाना काण्ड संख्या–62/2025</u>

Contd....
28.04.2026

कर दिया। टीम जब अईयाज मियां के बगीचा में पहुंचा तो एक पुलिस वाहन देखकर भागने लगे जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी और केस दैनिकी के अनुसार इस मामले में उसकी संलिप्तता स्पष्ट है। कांड दैनिकी के कंडिका 02 में वादी का पुनः बयान है। कंडिका –05, 06, 07, 11 में साक्षियों का कथन है। कंडिका –69 में जांच प्रतिवेदन है, जिसमें जब्त आग्नेयास्त्र और गोली को कारगर बताया गया है। कंडिका –41 में आवेदक/अभियुक्त का दो आपराधिक इतिहास दर्ज बताया गया है। इस मामले की जांच अभी जारी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता, आवेदकगण का आपराधिक पूर्ववृतों एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम को देखते हुये आवेदक को नियमित जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार, आवेदक का नियमित जमानत आवेदन **<u>खारिज</u>** किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब सम्प्रेषित करें।

(लेखापित)

ह0/–

(श्रीप्रकाश)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–20
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
28.04.2026